संख्या–2272/60–2–14–2/1(1)06 टी.सी.

प्रेषक,

सदाकान्त,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

1155
11-11-2014

सेवा में,

जिलाधिकारी,
अलीगढ, इलाहाबाद, औरैया, आजमगढ़, बागपत, बांदा, बाराबंकी, बुलन्दशहर, चन्दौली, चित्रकूट, इटावा, फैजाबाद, फर्रूखाबाद, फतेहपुर, गाजियाबाद, गाजीपुर, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, जालौन, झांसी, अमरोहा, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कौशाम्बी, कुशीनगर, लखनऊ, महोबा, मैनपुरी, मऊ, मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, रायबरेली, रामपुर, शाहजहॉपुर संत कबीर नगर, संत रविदास नगर, सिद्धार्थनगर तथा उन्नाव।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–2 **लखनऊ : दिनांक 11 नवम्बर, 2014**

विषयः विश्व बैंक सहायतित आईसीडीएस सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग एण्ड न्यूट्रीशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट (स्निप) के अन्तर्गत जिला रिसोर्स दल (डी0आर0जी0) तथा ब्लाक रिसोर्स दल (बी0आर0जी0) के गठन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या–15–4/2013–डब्ल्यू.बी.पी. दिनांक 10.09.14 द्वारा विश्व बैंक सहायतित आईसीडीएस सिस्टम स्ट्रेन्थनिंग एण्ड न्यूट्रीशन इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट (स्निप) योजना से आच्छादित जनपदों में मातृ तथा शिशु के पोषण एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्यरत आईसीडीएस एवं स्वास्थ्य विभाग के अग्रणी कार्यकर्ताओं (फ्रन्टलाइन वर्कस) जैसे आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, आशा तथा ए0एन0एम0 की क्षमता एवं कौशल में वृद्धि करने हेतु योजनान्तर्गत इन्क्रीमेन्टल लर्निंग प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जाने की व्यवस्था की गयी है, जिसका उद्देश्य निम्नवत है :–

1. अग्रणी कार्यकर्ताओं (आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री, आशा तथा ए0एन0एम0) की कर के सीखने (लर्निंग बाई डुइंग) के माध्यम से उनके कौशल में वृद्धि एवं किये जाने वाले कार्यों की प्राथमिकताओं के विषय में समक्ष विकसित करना।
2. कर के सीखने (लर्निंग बाई डुइंग) के सिद्धान्त द्वारा आई.सी.डी.एस. के पर्यवेक्षणीय ढांचे को सुदृढ़ बनाना।
3. लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु आई.सी.डी.एस. एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों की बीच समन्वय को और बढ़ावा देना।

2. उक्त के क्रम में इन्क्रीमेन्टल लर्निंग प्रशिक्षण को क्रियान्वित करने हेतु जनपद पर जिला रिसोर्स दल (डी0आर0जी0) तथा ब्लाक स्तर पर ब्लाक रिसोर्स दल (बी0आर0जी0) के गठन किया जाना है। रिसोर्स दल के सदस्य जिला/ब्लाक/सेक्टर स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों को इन्क्रीमेन्टल लर्निंग प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण के रूप में अपनी भूमिका निभायेंगे। दल के सदस्यों के चयन का मुख्य आधार उनकी विषय विशेष में समुचित ज्ञान, संवाद कौशल एवं समुदाय के बीच सक्रिय रूप से कार्य करने की इच्छाशक्ति हो।

3. जिला रिसोर्स ग्रुप में अधिकतम 8 से 10 सदस्य (जनपद की आवश्यकतानुसार यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रति सदस्य 1–2 ब्लाक की जिम्मेदारी निभा सके) व ब्लाक स्तर पर रिसोर्स ग्रुप में अधिकतम 8–9 सदस्य (ब्लाक की आवश्यकतानुसार यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रति सदस्य 1–2 सेक्टर की जिम्मेदारी निभा सके) होंगे। ग्रुप के सदस्यों का चयन करते समय इस बात का भी ध्यान रखा जायेगा कि सम्बन्धित सदस्य अधिक व्यस्त न हो तथा

वह प्रशिक्षण में भाग लेने व प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु उसके पास पर्याप्त समय हो अर्थात उसकी सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित हो। चयनित डी0आरजी0/बी0आर0जी0 के सदस्य जो कि प्रशिक्षण के रूप में भूमिका निभायेंगे उन्हें निर्धारित मानदेय भी प्रदान किया जाय।

4. जिला रिसोर्स ग्रुप व ब्लाक रिसोर्स ग्रुप में निम्नलिखित सदस्यों को चयनित किया जायेगा :–

1. जिला रिसोर्स दल
   - (1) जिला कार्यक्रम अधिकारी–01
   - (2) बाल विकास परियोजना अधिकारी–03
   - (3) जिला समन्वयक स्निप–01
   - (4) स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी (जिला स्वास्थ्य शिक्षा सूचना अधिकारी/जनपद स्तरीय एन.आर.एच.एम. नोडल अधिकारी/डी.पी.एम./डी.सी.पी.एम. (एन.आर.एच.एम.)–02
   - (5) अधिकतम वाह्य रिसोर्स पर्सन–03
     - अ. आई.एम.एन.सी.आई./विटामिन ए/आर.आई. कार्यक्रमों के मास्टर ट्रेनर्स
     - ब. डेवलपमेंट पार्टनर्स (यूनीसेफ,केयर या अन्य) एवं गैर सरकारी संस्थाओं से स्वास्थ्य एवं पोषण में कार्यरत प्रतिनिधि
     - स. ए.डब्ल्यू.टी.सी./एम.एल.टी.सी. अथवा शैक्षिक संस्थाओं के प्रतिनिधि
2. ब्लाक रिसोर्स दल
   - (1) बाल विकास परियोजना अधिकारी
   - (2) परियोजना की समस्त मुख्य सेविकाएं–03
   - (3) ब्लाक समन्वयक स्निप–01
   - (4) ब्लाक स्तरीय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी(स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी,बी.पी.एम.(एन.आर.एच.एम)/ए.आर.ओ./स्वास्थ्य पर्यवेक्षक/एच.एच.वी.)–02
   - (5) अधिकतम वाह्य रिसोर्स पर्सन–03
     - अ. आई.एम.एन.सी.आई./विटामिन ए/आर.आई. कार्यक्रमों के मास्टर ट्रेनर्स
     - ब. डेवलपमेंट पार्टनर्स (यूनीसेफ,केयर या अन्य) एवं गैर सरकारी संस्थाओं से स्वास्थ्य एवं पोषण में कार्यरत प्रतिनिधि
     - स. ए.डब्ल्यू.टी.सी./एम.एल.टी.सी. अथवा शैक्षिक संस्थाओं के प्रतिनिधि
     - द. पंचायत/शिक्षा विभाग/समाज कल्याण विभाग के ब्लाक स्तरीय अधिकारी

कृपया तद्नुसार जिला रिसोर्स दल (डी0आर0जी0) तथा ब्लाक रिसोर्स दल (बी0आर0जी0) के गठन की कार्यवाही प्राथमिकता पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सदाकान्त
प्रमुख सचिव

संख्या–2272(1)/60–2–14, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0, लखनऊ।
2. स्टेट टीम लीडर, स्निप, उ0प्र0, लखनऊ।
3. सम्बन्धित जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि जनपद एवं ब्लाक स्तर पर क्रमशः डी0आर0जी0/बी0आर0जी0 ग्रुप के गठन हेतु अपने जिलाधिकारी से अनुश्रवण कर शीघ्र कार्यवाही कराकर कृत कार्यवाही से शासन/निदेशालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

18/11/15

(मिश्रीलाल पासवान)
विशेष सचिव